

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- प.1(63) EM(R)/RTI Cell/2014/593

दिनांक :- 17/9/14

- आदेश :-

“सूचना का अधिकार अधिनियम-2005” की धारा 5(1) के तहत राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक प.1(63)/ADR/RTI Cell/2011/1308 दिनांक 14.03.2011 के अन्तर्गत आवासन मण्डल में 63 लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित (Designated) किये गये हैं। उक्त अधिनियम की धारा-05 की उप धारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पूर्व आदेश क्रमांक प.3(25)गृह-6/2006 जयपुर दिनांक 03.05.2007 के क्रम में कार्यालय आदेश क्रमांक पं1(1)कार्मिक/आरटीआई/35/2014/1184 दिनांक 16.07.2014 आवासन मण्डल के सचिव को राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं आवासन आयुक्त को प्रथम अपील अधिकारी के पदनामों पर प्रतिस्थापित कर दिये जाने के कारण उपरोक्त आदेश क्रमांक 1308 दिनांक 14.03.2011 में क्रम संख्या 01 के कॉलम 04 में आवासन आयुक्त को प्रथम अपील अधिकारी तथा आदेश के क्रम संख्या 08 व 09 के कॉलम 04 में सचिव को राज्य लोक सूचना अधिकारी पदा जावे, व इनके स्थान पर लोक सूचना अधिकारी प्रिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक, उप सचिव एवं सम्पदा प्रबन्धक (भूमि) को पदाभिहित किया जा रहा है। साथ ही उक्त आदेश के निरन्तर क्रम में पदनाम एवं मण्डल के निम्न अधिकारियों को भी उनके कार्य क्षेत्र अनुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित (Designated) किया जाता है

| क्र. सं. | लोक प्राधिकारी व कार्यालय का नाम, पता व दुरभाष नं. | सहायक लोक सूचना अधिकारी | लोक सूचना अधिकारी | क्षेत्राधिकार | विभागीय अपील अधिकारी (First Appeal Authority) |
|----------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | अध्यक्ष सचिवालय, रा.आ.म. जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर फोन नं. 0141-2740746 फैक्स नं. 0141-2743819 | - | तकनीकी सलाहकार (अध्यक्ष) | अध्यक्ष प्रकोष्ठ से सम्बन्धित सूचना | आवासन आयुक्त (मु.) रा.आ.म. ज्योति नगर, जयपुर फोन नं. 0141-2740313 फैक्स नं. 0141-2740593 |


| | | | | | |
|----|--|-----------------------------|-------------------------------|--|---|
| 2. | आवासन आयुक्त कार्या. रा. आ.म. जनपथ ज्योति नगर, जयपुर फोन नं. 0141-2740313 फैक्स नं.0141-2740593 | — | तकनीकी सलाहकार (आवासन आयुक्त) | आवासन आयुक्त प्रकोष्ठ से सम्बन्धित सूचना | " |
| 3. | मुख्य अभियन्ता (मु.) रा.आ.म., जनपथ ज्योति नगर, जयपुर फोन नं. 0141-2740371 | तकनीकी सहायक (T.A. TO C.E.) | मुख्य अभियन्ता | तकनीकी एवं निर्माण कार्य से सम्बन्धित सूचना E-Prok & Computer Cell से सम्बन्धित सूचना | " |
| 4. | मुख्य अभियन्ता (प्रथम) रा. आ.म., जनपथ ज्योति नगर, जयपुर फोन नं. 0141-2740359 | तकनीकी सहायक (T.A. TO C.E.) | मुख्य अभियन्ता | वृत्त प्रथम, द्वितीय व तृतीय, जयपुर वृत्त-अलवर, कोटा, खण्ड-पीएचई एवं विद्युत | " |
| 5. | मुख्य अभियन्ता (द्वितीय) रा. आ.म., जनपथ ज्योति नगर, जयपुर फोन नं. 0141-2741950 | तकनीकी सहायक (T.A. TO C.E.) | मुख्य अभियन्ता | वृत्त प्रथम, द्वितीय जोधपुर, वृत्त बीकानेर, उदयपुर न्यूनतम विक्रय निर्धारण कार्य | " |
| 6. | वरिष्ठ कार्मिक, रा.आ.म. (मु.) जनपथ ज्योति नगर जयपुर फोन नं. 0141-2740172 वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक | कार्मिक प्रबन्धक (P.M.) | वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक | संस्थापन, विभागीय पदोन्नति, बोर्ड बैठक, स्थानान्तरण व प्रशासनिक समानांतर कार्य की सूचना। | " |
| 7. | उप सचिव रा.आ.म. (मु.) जनपथ ज्योति नगर जयपुर फोन नं. 0141-2740172 | स. आवा. आधि. | उप सचिव | मुख्यालय के सतर्कता, विभागीय जाँच व एसीआर, पत्र प्राप्ति व पत्र प्रेषण, स्टोर से संबन्धित सूचना। | " |
| 8. | सम्पदा प्रबन्धक (भूमि) रा.आ.म. (मु.) जनपथ ज्योति नगर जयपुर फोन नं. | तहसीलदार | सम्पदा प्रबन्धक (भूमि) | भू-अवाप्ति सम्बन्धी समस्त कार्यों की सूचना | " |

आदेश क्रमांक:- प.1(1) कार्मिक/तकनीकी/32/2013/1549 दिनांक 23.08.2013 के तहत मण्डल में तीन मुख्य अभियन्ता बनाये गये हैं जिसको सूचना का अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित किया गया है। आदेश क्रमांक :- प.1(63) ADR/RTI Cell/2011/1308 दिनांक 14.03.2011 में क्रम सं. 3 में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पीएण्डएम) को क्रमोन्नत कर मुख्य

अभियन्ता बनाया गया है। क्रम सं. 19 में सहायक निदेशक (अभिलेख) को सम्पदा प्रबन्धक (अभिलेख) किया गया है।


यह आदेश पूर्व में जारी आदेश क्रमांक :- प.1(63) ADR/RTI Cell/2011/1308 दिनांक 14.03.2011 के निरन्तर क्रम में जारी किये जाते हैं। पदाभिहित (Designated) समस्त लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रथम/द्वितीय अपील व परिवाद का उत्तर विधिसमम्त अधिनियम अंतर्गत निर्धारित समय में संबन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा पेश किया जावे। P.I.O's & A.P.I.O.'s के दायित्व एवं कार्य बाबत परिपत्र क्रमांक प.(1)स.नि.अ./प्रति नियम/2005/521 दिनांक 12.09.2006 को जारी किया जा चुका है।

RTI आवेदन पत्रों का निस्तारण एवं परिवाद तथा अपीलोत्तर में किसी भी प्रकार की शिथिलता होने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उपरोक्त आदेश आवासन आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित है।


(शुभे सिंह यादव)
सचिव

प्रतिलिपी :-

1. तकनीकी -सहायक अध्यक्ष/आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
2. निजी सहायक अध्यक्ष/आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
3. सचिव महोदय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप सचिव राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. समस्त लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल
6. रक्षित पत्रावली


सचिव